He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] No. 332] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2003/आषाढ़ 31, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2003/ASADHA 31, 1925

भारतीय रिजर्व बैंक

(बिदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 जून, 2003[,]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 557 (अ). — विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (i) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फ़ेमा 21/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
 - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
 - 2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रश्रंथ (भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण और हस्तांतरण) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा :

''5अ. विदेशी दूतावास/राजदूत/कॉन्सुलेट जनरलों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री

बिदेशी दूतावास/राजदूत/कॉन्सुलेट जनरल भारत में कृषि भूमि/वृक्षरोपण संपत्ति/फार्म हाउस के सिवाय अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री कर सकता है बशर्ते कि (i) ऐसी खरीद/बिक्री के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की गई हो और (ii) भारत में अचल संपत्ति का अभिग्रहण बैंकिंग माध्युम से विदेश से प्राप्त निधियों से किया गया हो''।

[सं. फ़े मा. 93/2003-आर बी]

कि. ज. उदेशी. कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(Central Office) NOTIFICATION

Mumbai, the 9th June, 2003

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 557 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (3) of Section 6, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 21/2000-RB dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations 2000, namely:—

1. Short title and Commencement:—

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations 2000, after Regulation 5, the following Regulation shall be inserted namely:

"5A. Purchase/Sale of Immovable Property by Foreign Embassies/Diplomats/Consulate Generals

A Forcign Embassy/Diplomat/Consulate General may purchase/sell immovable property in India other than agricultural land/plantation property/farm house provided (i) clearance from Government of India, Ministry of External Affairs is obtained for such purchase/sale, and (ii) the consideration for acquisition of immovable property in India is paid out of funds remitted from abroad through banking channel".

[No. FEMA. 93/2003-RB] K. J. UDESHI, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 18 जून, 2003

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की अंतरण अश्रवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 558 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा मिर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2003 कहलाएगा।
 - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
 - 2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, अ. विनियम 2 में,

- (i) मद (vii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, नामत: :—
 - ''(vii) (क) अनिवासी भारतीय (एन आर आई) का विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से संबंधित फर्म अथवा संपत्ति में निवेश) विनियमावली, 2000 के विनियम 2 के खंड (iv) में दिया गया अर्थ लागू होगा।''
- (ii) मद (viii) में 'अनिवासी भारतीय (एन आर आई)' शब्द निकाल दिया जाए;

आ. विनियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित बिनियम जोड़ा जाएगा, नामत: :--

''६अ. बोनस शेयर का अभिग्रहण :---

भारतीय कंपनी अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखिब जुतों के अधीन बोनस शेयर जारी कर सकते हैं :

- (क) ऐसे शेयर (इसके पश्चात् ''मूल शेयर'' माना जाएगा), जिनके तहत कंपनी द्वारा बोनन शेवर जारी किए गए हैं, वे अभिग्रहण को लागू नियमों/विनियमों के अनुसार अनिवासी शेयरभारक द्वारा अभिगृहीत अथवा धारित किए गए थे।
- (ख) अनिवासी शेयरथारक द्वारा अभिगृहीत बोनस शेयर, मूल शेयरों को लागू प्रत्यावर्तनीयता से संबंधित प्रतिबंधों समेत उन्हीं शर्तों के अधीन होंगे।

"6आ. भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट :--

विनियम 6, या विनियम 6अ, जैसा भी मामला हो, के अनुसार अधिकार क्षेयर अथना बोनस क्षेयर जारी करने वाली कंपनी लेनदेन को निर्गम की तिथि से तीस दिनों के भीतर फॉर्म एफसी-जीपीआर में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को रिपोर्ट करें।

- इ. विनियम १ में उप-विनियम (2) निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः :-
- ''(2) (i) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय न होने पर, उनके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय डिकेंचरों को भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को बिक्की अथवा उपहार द्वारा अंतरित कर सकते हैं।
 - (ii) अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय उनके द्वारा धारित शेयर अथवा परिवर्तनीय हिबेंबरों को अन्य अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय को ही बिक्री या उपहार द्वारा अंतरित कर सकते हैं ;

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें शेयर अंतरित किए जा रहे हों, ने खंड (i) और (ii) के अनुसार केन्द्र सस्कार से शेयर को अभिगृहीत करने की पूर्वानुमित प्राप्त की हो, यदि उनका, शेयर अथवा डिबेंचरों में निवेश अथवा तकनीकी सहभागित अथवा देड मार्क करार अथवा उसी क्षेत्र में किसी भी नाम से जाने जाने वाले निवेश अथवा संबद्ध क्षेत्र में रत जिसमें भारतीय कंपनी जिनके शेयर अंतरित किए जाने वाले हैं के जिए उनके पूर्व उद्यम अथवा भारत में तालमेल है।

इसके अलावा, बशर्ते कि खंड (i) और (ii) की प्रतिबंध , एशियन विकास बँक (एडीबी), अंतरराष्ट्रीय किल निगम (आई एफ सी), कॉमनबेल्य विकास निगम (सीडीसी) इयुक्त एंटविकानंग्स गैस्सेल्सशॉफ्ट (डीईजी) ऐसे अंतरराष्ट्रीय विज्ञ संस्थाओं को और सूचना प्रौद्योगिको क्षेत्र में रह भारतीय कंपनी के शेयर अंहरण मर लायू नहीं हैं।

- (iii) इन चिनियमों के अनुसार भारत के बाहर रहेने वाले व्यक्ति उनके द्वारा धारित भारतीय कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचरीं को—
 - (क) भारत में निवासी व्यक्ति को उपहार के रूप में अंतरित कर सकता है
 - (ख) पंजीकृत दलाल के जरिए भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है।"

ई. स्ची 1 में

- (क) पैरा 5 में खंड (क) "सेबी के दिशा-निर्देशों" शब्दों के पश्चात "यथा लागू" शब्दों को ओड़ा जाएगा;
- (ख) पैरा 5 के पश्चाद निम्नलिखित नया पैरा समाविष्ट किया जाए नामतः :—

"5अ. ए डी आर/जीडीआर का निर्गम मूल्य

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी किए जाने वाले एडीआर /जीडीआर का मूल्य भारतीय कंपनी द्वारा निश्चित किया जाए।

- (क) जहां निर्गम के अग्रणी प्रबंधक के साथ परामर्श करके सार्वजनिक आधार पर निर्गम जारी किया जाता है; और
- (ख)- अन्य मामलों में, उन्त पैरा 5 में दिए गए अनुसार''
- (ग) पैरा 6 में खंड (क) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा नामत: :— 💨
- ''(iii)14 जुलाई, 2000 (अर्थात् वह तारीख जिस दिन लाभांश संतुलन शर्त को निकाला गया) के पश्चात् घोषित /प्रेपित लाभांश में निर्मित दायित्व को''
- (म) पैरा अने वर्तमान उप-खंड (ख) निकाल दिया जाए।
- उ परिशिष्ट अ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट ''अ'' प्रतिस्थापित की जाए
- ऊ परिशिष्ट आ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट "आ" प्रतिस्थापित की जाए
- ए परिशिष्ट इ के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट "इ" प्रतिस्थापित की जाए
- ऐ परिशिष्ट ई के स्थान पर संशोधित परिशिष्ट ''ई'' प्रतिस्थापित की जाए
- **ओ. वर्तमान फार्म एफसी- जीपीआर के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित एफसी-जीपीआर** जर्म प्रतिस्थापित किया जाए,
- औ अनुसूची 2, में पैरा (1) में उप- पैरा (5) के स्थान पर े.म्नलिखित प्रतिस्थापित किया বাহ বাদत: :---

- '' (5) (अ) पंजीकृत एफआईआई को प्रस्ताव/प्राइवेट प्लेसमेंट के जिस्ये भारतीय कंपनी के शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने की अनुमित है बशर्ते कि इस पैरा के उप-पैरा (4)में उल्लिखित सीमा के अधीन हो और भारतीय कंपनी को ऐसे शेयर जारी करने की अनुमित हो; बशर्ते कि :-
 - (i) सार्वजिनिक प्रस्ताव के मामले में जारी करने वाले शेयर का मूल्य निवासियों को जारी किए गए शेयरों के मूल्य से कम न हों, और
 - (ii) प्राईवेट प्लेसमेंट द्वारा निर्गम के मामले में सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाले गए मूल्य से या पूर्ववर्ती पूंजी निर्गम के नियंत्रण पर प्राप्त जारी दिशा-निर्देश, जो लागू हो, से कम न हो''

अ अनुसूची 3 में,

- (i) पैरा (1) के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :—
 - ''(i) अनिवासी भारतीय, प्राधिकृत व्यापारी द्वारा नामित शाखा के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथावत् अनुमोदन करके संविभाग निवेश योजना के अंतंगत शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकते हैं।''
 - (ii) पैराग्राफ 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:—
- ''3. शेयर और/अथवा डिबेंचर की बिक्री/परिपक्वता आय का प्रेषण/जमा

अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनी निकाय द्वारा इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए भारतीय कंपनी के शेयर और/अथवा डिबेंचर की निवल बिक्री/परिपक्षता आय को (आयकर के भुगतान के पश्चात्) पैरा 1 में संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा द्वारा अनुमित दी जाए।

- (क) अनिवासी भारतीय/समुद्रपारीय निगमित निकाय निवेशक के एनआरओ खाते में जमा किया जाए जहां शेयर की खरीद और/ या डिबेंचर की बिक्री या भुगतान एनआरओ खाते में जमा निधियों से किया जाता है या जहां शेयर और/या डिबेंचर की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर की जाती है; अथवा
- (ख) जहां शेयर और/अथवा डिबेंचर प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीदे गए हैं वहां अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित विकास के निदेशक के विकल्प के अनुसार विदेश में प्रेपित किया जाए अथवा अनिवासी भारतीयों के एनआरई/एफसीएनआर/एनआर्टी खाते में जमा किया आए''
- अ: अनुसूची 4 में, पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए नामत:—

''बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें शेयर अंतरित किए जा रहे हों, केन्द्र सरकार से शेयर को अभिगृहीत करने की पूर्वानुमित प्राप्त की हो, यदि उनका, शेयर अथवा डिबेंचरों में निवेश अथवा तकनीकी सहभागिता अथवा ट्रेड मार्क करार अथवा दसी क्षेत्र में किसी भी नाम से जाने जाने वाले निवेश अथवा संबद्ध क्षेत्र में रत जिसमें भारतीय कंपनी जिनके शेयर अंतरित किए काने वाले हैं के किए उनके पूर्व उद्यम अथवा भारत में तालमेल हैं। ''

इसके अलावा यह भी कि ये प्रतिबंध, एशियन विकास बैंक (एडीबी) अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) कॉसनवेल्थ विकास निगम (सीडीसी, ड्यूश) एंटविकलंग्स गेस्सेल्सशॉफ्ट (डीईजी) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रत भारतीय कंपनी के शेयर अंतरण पर लागू नहीं हैं।

> [सं॰फेमा. 94/2003-आर बी] उपा थोरात, कार्यपालक निदेशक

यरिशिष्ट ''अ'' (पैराग्राफ 2 देखें)

- (अ) ऐसे कार्यकलापों की सूची जिनके लिए भारत से बाहर नियासी व्यक्ति द्वारा निवेदा के किए भारतीय रिजर्व बैंक का स्वचालित मार्ग (ऑटोमेटिक रूट) उपलब्ध नहीं है
 - घरेलू एयरलाइन
 - पेट्रोलियम क्षेत्र (निजी क्षेत्र तेल शोधन के सिवाय)
 - मलभूत ढाँचा और सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां
 - रक्षा और उसके अनुकूल उद्योग
 - परमाणु खनिज
 - 6. प्रिंट मीडिया
 - 7. प्रसारण
 - 8. डाक सेवाएं
 - 9. कुरियर सेवाएं
 - 10. सेटेलाइट की स्थापना और परिचालन
 - 11. एकीकृत टाउनशिप का विकास
 - 12. चाय क्षेत्र

(आ) ऐसे कार्यकलापों की सूची जिनके लिए एफडीआई प्रतिबंधित है

- खुदरा व्यापार
- परमाणु ऊर्जा 2.
- 3. लॉटरी कारोबार
- 4. जुआ और सट्टेबाजी
- 5. आवास और अचल संपत्ति कारोबार
- 6. कृषि (पुष्पखेती, बागबानी, बीजों की उपज, पशुपालन, मछली पालन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित शर्तों और सेवाओं के अधीन सब्जी, मशरूम आदि की खेती को छोड़कर) और बागान (चाय बागान का छोड़कर)!

परिशिष्ट''आ'' (पैराग्राफ 2 देखें)

	D				
भारत स बाहर	नवासा	खानगा	द्धारा	G (3)	पर सेक्टोरल कैप
	4 4 .44 244			1 1-2411	41 (140) (/) A14

सेक्टर	निवेश कैप	कार्यकलाप/मद/स्थिति का वर्णन
1	2	3
1. निजी क्षेत्र बैंकिंग	49 %	रिज़र्ब बैँक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशा-निर्देशों के
		अधीन
2. गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	100%	नीचे दर्शाये गये स्तर के अनुसार एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी मे
		निवेश निम्नलिखित 19 एनबीएफसी गतिविधियों में अनुमत है।
	*	(क) शामिल कार्यकलाप :
		1. मर्चेंट बैंकिंग
		2. अंडरराइटिंग
		3. संविभाग प्रबंध सेवा
÷ .		4. निवेश परामर्श सेवा
		5. वित्तीय परामर्श
		6. स्टॉक- ब्रोकिंग
		7. आस्ति प्रबंध
		8. उद्यम पूंजी
	.*	9. कस्टोडियल सेवा
		10. फैक्टरिंग
		11. क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां
	r.	12. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
		13. लीजिंग तथा वित्त
		14. आवासीय वित्त
		15. फॉरेक्स ब्रोकिंग
	•	16. क्रेडिट कार्ड कारोबार
797) e 1		17. मुद्रा विनिमय कारोबार
		18. माइक्रो ऋण
		19. ग्रामीण ऋण
$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{j=1}^{n} $		(ख) एनबीएफसी के आधार पर निधि के लिए न्यूनतम पूंजीकर
		मानदंड :
		(i) 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए हो तो 0.5 मिलियन अमरी
•		डॉलर अपफ्रंट के रूप में लाया जाए।
		(ii) अगर एफडीआई 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत र
		हो तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में ला
		जाए।
		(iii) अगर एफडीआई 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक

तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में और शेप 24 महीनों में लाया जाए।

3

- (ग) गैर-निधि के आधार पर कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजी-करण मानदंड।
 - 0.5 मिलियम अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड विदेशी निवेश के साथ गैर-निधि पर आधारित एनबीएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लागू है।
- (घ) विदेशी निवेशक, भारतीय सत्ता की ईक्विटी के कम से कम 25 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त के अलावा 100 प्रतिशत तक परिचालनात्मक सहायक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्त कि उक्त (ख)(iii) के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाने के अधीन (अतिरिक्त पूंजी लाये बिना परिचालनात्मक सहायक कंपनियों की संख्या के प्रतिबंध को छोड़कर)।
- (ङ.) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश हैं उन्हें भी अन्य एनबीएफसी क्रियाकलाप उपक्रम के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह अर्थात् (ख)(i) और उक्त (ख)(ii) का अनुपालन करें।
- (च) स्वचालित मार्ग पर एनबीएफसी क्षेत्र में एफडीआई डाल दें बशर्ते कि रिज़र्व बैंक के दिशा-निदेशों का अनुपालन किया हो। रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित दिशा-निदेश जारी करेगा।

बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 26% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है बशर्ते कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से लाइसेंस प्राप्त किया हो।

- (i) सेटेलाईट द्वारा बेसिक, सेलूलर मूल्यवर्धित सेवाओं में और ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत तक सीमित कंपनी जो निवेश करती है और कंपनी जिसमें निवेश किया जाने वाला है, विदेशी ईक्विटी कैप और ईक्विटी और अन्य लाइसेंस प्रावधानों के अंतरण और जोड़ने के लिए लाइसेंस शर्ते।
- (ii) आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और एण्ड-टु-एण्ड बैंडविड्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74 प्रतिशत तक अनुमित है और 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। ये सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन है।
- (iii) उत्पाद कार्यकलापों के लिए इक्ट्रिटी कैप लागू नहीं है।
- (iv) दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है:
 - (क) गेट के उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी (सेटेलाइट और सबमरीन केबल दोनों के लिए)
 - (ख) डार्क फाइबर उपलब्ध कराने वाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (आईपी श्रेणी 1)
 - (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और
 - (घ) वॉयस मेल

उक्त निम्नलिखित शर्तों के अधिन हैं;

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है यदि यह कंपनियां दुनियां के अन्य क्षेत्रों में सूचीबद्ध है बशर्ते कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में उनके ईक्विटी के 26 प्रतिशत तक विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में करें।

3. बीमा

26%

दूरसंचार

49%

Ž

100%

4

- (ख) उक्त सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन होंगी, जब आवश्यक हो।
- (v) 49 प्रतिशत से अधिकः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआईपीबी द्वारा मामले दर मामले आधार पर विचार किया जाएगा।

निजी भारतीय कंपनियों के मांमले में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

नीचे बताए गए क्षेत्रों में केवल अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकायों को ही 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है:

- (क) सुविधायुक्त प्लाटों का विकास और आवासीय परिसरों का निर्माण
- (ख) भूमि-भवन में निवेश जिसमें व्यापारिक केंद्रों और कार्यालयों सिहत आवासीय और वाणिज्य परिसरों का निर्माण शामिल है।
- (ग) टाउनशिप का विकास
- (घ) नगर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़केंऔर पुल शामिल हैं।
- (ङ) भवन सामग्री के विनिर्माण में निवेश जो एनबीएफसी जैसी एफडीआई के लिए भी खुला है।
- (च) ऊपर (क) से (ड) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सहभागिता उद्यमों में निवेश
- (छ) आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश
- (i) भारतीय निजी कंपनियां जो सीमित उपभोग के लिए पॉवर परियोजनाएं और कोयले अथवा लिंग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही हैं अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही हैं उन्हें 100 प्रतिक्षत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
- (ii) कोयला प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत हैं, बशर्ते कि कंपनी कोयला खनन न करे और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुले बाजार में साफ किया हुआ अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला नहीं बेचें। वे ऐसा साफ किया अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला उन्हीं पार्टियों को सप्लाई करेंगे जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को साफ करने अथवा टुकड़े करने के लिए कच्चा कोयला सप्लाई करते हैं।
- (iii) सीमित खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट का पता लगाने अथवा खनन के लिए 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
- (ख) (iv) उक्त सभी मामलों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 50 प्रतिशत तक अनुमत है बशर्ते कि ऐसे निवेश पीएसयू के ईक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक न हो।

 समुद्रपारीय उद्यम पूंजी निधियों/कंपनियों की घरेलू उद्यम पूंजी उपक्रम साथ ही साथ अन्य कंपनियों में स्वचालित मार्ग के जिरए निवेश की अनुमित केवल सेबी विनियमावली और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर सेक्टर स्पेसिफिक कैप के अधीन।
 - (i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 51 प्रतिशत तक व्यापार की अनुमित है बशर्ते कि वह प्राथमिक स्वरूप के

पेट्रोलियम (निधि क्षेत्र)

6. आवास और भृमि भवन

7. कोयला और लिग्नाइट

- उद्यम पूंजी निधि (बीसीएफ)
 और उद्यम पूंजी कंपनी (बीसीसी)
- ९. व्यापार

2

3

क्रियाकलाप और उपक्रम निर्यात गृह/व्यापार गृह/सुपर ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस हो। तथापि, एफआईपीबी मार्ग के अंतर्गत व्यापारी कंपनियां निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है:

- (क) निर्यात।
- (ख) निर्यात/एक्स बांडेड वेयरहाउस बिक्री के साथ अल्क आयात।
- (ग) कैश एण्ड कैरी खुदरा व्यापार।
- (घ) अन्य वस्तु और सेवाओं का आयात उसी समृह के सरकारी खरीद और बिक्री के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक हो और न कि तीसरे पक्ष के उपयोग अथवा आगे के अंतरण/वितरण और बिक्री के लिए।
- (ii) एक्जिम नीति के प्रावधानों के अधीन व्यापार के निम्निलिखित मदें भी अनुमत हैं:
 - (क) बिक्री पश्चात् सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनियां (जो स्वयं एवं ब्यापारी नहीं हैं)।
 - (ख) संयुक्त उद्यमों के उत्पादों के घरेलू व्यापार थोक स्तर पर अनुमत है ऐसी व्यापारी कंपनियां जिसकी भारत में ईक्किटी सहभागिता है और जो संयुक्त उद्यमों की ओर से निर्मित उत्पादों को बाजार में उतारना चाहते हैं।
 - (ग) हाई-टेक वस्तुएं/वस्तुएं जिन्हें बिक्री पश्चात् विशेष सेवाओं की आवश्यकता है।
 - (घ) सामाजिक क्षेत्रों के वस्तुओं का व्यापार।
 - (ङ) लघु उद्योग क्षेत्र के स्रोत से वस्तुओं का व्यापार जिसके अंतर्गत, तकनीकी आधार और दी गई गुणवत्ता विशेषताओं पर कंपनी उनके ब्रांड नाम से व्यापार कर सकती है।
 - (च) निर्यात के लिए उत्पाद का घरेलू स्रोत।
 - (छ) ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा हो साल की अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेश का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो।
 - (ज) ई-कामर्स कार्यकलाप के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमित है बशर्ते कि अगर ऐसी कंपनियां दुनिया के अन्य भागों से सूचीबद्ध हों, तो पांच साल में वह उनके ईक्विटी के 26 प्रतिशत का विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में कों। ऐसी कंपनियां केवल कारोबार से ई-कॉमर्स (बी2बी) में रत हो न कि खुदरा व्यापार में।

परमाणु रिऐक्टर पाँवर प्लांट के अलावा बिजली निर्माण, आबंटन तथा विश्वरण की परियोजना के संबंध में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। परियोजना की लागत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा में कोई भी सीमा नहीं है।

10. पावर

100%

2 100% 12. रेड और महाना बंदर और बंद 13. होटल और पर्यटन 100% 74% 14. खनन 100% 15, विज्ञापन 100%

वर्षां और फार्मास्यूष्टिकल्स के उत्पादन के लिए 100 प्रतिका तक विदेशी प्रत्यक्ष विशेष की अनुमति है, वसर्ते कि कार्यकल्ला को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक और विशेष सेल/टिश्यू टार्गेंटेड फॉर्मुलेशन्स का उपयोग शामिल है।

ल्ड्रह्सेंसीकृत दबाइयों और फार्मास्युटिकाल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से उत्पादित योक दबाइयां और विशेष सेल/ टिश्यू टारगेटेड फॉर्म्युलेशन्स में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

मार्ग और महामार्ग, वाहन पूल, टोल मार्ग, वाहन टनेल, पक्षन और बंदरगाह के निर्माण तथा रख-रखाव की परियोजनाएं। होटलों में ऐसे सभी रेस्तरं, बीच रिजार्ट और अन्य ट्रिस्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं जो पर्यटकों को रहने की जगह और/अथवा खान-पान की सुविधा प्रदान करते हैं। पर्यटन संबंधी उद्योग में ट्रेक्ल एजेंसियां, टूर ऑपरेटिंग एजेंसियां और ट्रिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एजेंसियां, पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक, साहसिक कार्यों और वन्य पशुओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली यूनिट, पर्यटकों के लिए भू-मार्ग, हवाई-मार्ग और जल-मार्ग से परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले, पर्यटकों के लिए आग्रम करने, मनो-विनोद, खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी यूनिट और सम्मेलन/ समारोह आयोजित करने वाले यूनिट और संगठन।

(i) परियोजना की पूंजी लागत के 3 प्रतिशत तक का प्रस्ताक्ति भूगतान, तकनीकी और परामर्शी सेवा जिसमें आर्किटेक्ट, डिजाइन, पर्यवेक्षण आदि का शुल्क शामिल।

विदेशी तकनीकी करारों के लिए स्वचालित अनुमति दी जाएगी

अगर, :

- (ii) निबल पण्यावर्त के 3 प्रतिशत तक फ्रेन्चाइजिंग और मार्केटिंग/प्रचार समर्थन शुल्क, और प्रोत्साहन शुल्क सहित प्रबंध शुल्क के लिए देय सकल परिचालन लाभ का 10 प्रतिशत तक।
- (i) हीरे और जवाहरात का अन्वेषण और खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
- (ii) हीरे और जवाहरात को छोड़कर सोने और चांदी और खिनकों का पता लगाना और खनन, धातु कर्म तथा प्रसंस्करण के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिज्ञत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
- (iii) जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत कंपनियां स्थापित करने के लिए दिनांक 14-12-98 का प्रेस नोट 18 (1998 सिरीज़) लागू नहीं होगी बशर्ते कि आवेदक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त हो कि उनके पास उसी क्षेत्र और/अथवा विशिष्ट खनिज के लिए वर्तमान में संयुक्त उद्यम नहीं है।
- (क) विज्ञापन क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।

1	•	2		
16.	फिल्में	100%		ख) फिरम क्षेत्र (संबंधित सेवाओं/उत्पादों सहित फिरम का उत्पादन, प्रदर्शन और वितरण)
				स्वजालित मार्ग पर प्रवेश स्त्रार बिना शर्त के 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति।
17.	हवाई अड्डे	74%	74	4% से अधिक के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक।
18.	अत्यधिक द्रुत परिवह	न प्रणालियां १००%	र्भ	हयोगी भूमि भवत विकास समेत सभी शहरों में अत्यधिक हुत रिवहन प्रणाली में स्वचालित मार्ग पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश २० प्रतिशत तक अनुमत है।
19.	प्रदूषण नियंत्रण और	प्रभाव 100%		उचालित मार्ग पर प्रदूषक नियंत्रण उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण णालियों के एकीकपूत्र के लिए प्रामशे, दोनों में।
20.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	100%	विम्नरिक्ति	इत के अलावा संधी उद्घादन कार्यकलाप :
				स्त्र और एम्युनिजन, बिस्स्त्रेटक और सुरक्षा उपस्कर संबंध स्तु, सुरक्षा हवाई अहुद्धा तथा युद्ध नौका
			(ii) प	माणु वस्तु, नॉकॉटिक्स तथा सैकॉट्रोपिक बस्तु तथा
	÷			दक पेय का दिस्टिश्वा त और झुशा गुरुट सिगार तथा झुझादत तथाक पुरक

परिशिष्ट ''इ'

[अनुसूची] का पैरा 4(2) देखें]

जीडीआर/एडीआर निर्गम की व्यवस्था करने वाली भारतीय केंपने द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवसणी

अनुदेश :

फार्म भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

- 1. कंपनी का नाम
- 2. पंजीकृत कार्यालय का पता
- 3. पत्र व्यवहार का पता
- विद्यमान कारोबार (कंपनी प्रमुखत: जिस गतिविधि में सन्नद्ध है उसका एनआईसी कूट)
- 5. प्रयोजन के लिए ब्यौरे जिसके लिए एडीआएजीडीआर की वृद्धि हुई है। यदि विधियां विदेशी निदेश के लिए अभिनियोजित की थी तो उसके ब्यौरे
- 6. विदेशी जमाकर्ता का नाम और पता
- 7. निवेश का प्रमुख/प्रबंधक/मर्चेंट बैंकर का नाम और पता
- 8. निर्गम के उप-प्रबंधक का नाम और पता
- 9. भारतीय कस्टोडियन का नाम और पता
- 10. एफआईपीबी अनुमोदन के ब्यौरे (कृपया संबंधित एन आई सी कूट को उद्धृत करें यदि जीडीआर स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत जारी किये गये हों)
- क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र सीमा (सैक्टोरल कैप) लागू है, यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें

इंक्क्टिंग पूजी के ड्यौरे

निर्गम से पूर्व

निर्गम के बाद

- (क) प्राधिकृत पूंजी
- (ख) निर्गमित और प्रदत्त पूंजी
 - (i) भारत में निवासी व्यक्ति हारा धारित
 - (ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/चिदेशी कंपनी निकायों के अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा भारित (प्रदत्त पूंची के 10 प्रतिशत से अधिक और उनके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भारित जेयरों को संख्या वाले विदेशी निवेशकों की सूची प्रस्तुत की जाए)
 - (ш) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्ति
 - (iv) विदेशी संसाधन निवेशक द्वारा धारित
 - (ग) कुल प्रदत्त पूंजी का अनिवासियों द्वारा धारित इक्विटी का प्रतिशत
- 13. क्या निर्गम निजी नियोजन आधार पर था? यदि हाँ, तो निवेशकों के और उनमें से प्रत्येक को जारी किए गए एडीआर/जीडीआर के ब्वौरे दें।
- 14. जारी किये गये जीडीआर/एडीआर की संख्या
- 15. आधारभूत शेयर के एडीआर/जीडीआर का प्रतिशत।

धरिशिष्ट "ई"

[अनुसूची] का पैरा 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी

(भारतीय रिकर्ष बैंक, विदेशी निवेश प्रधान, केन्द्रीय कार्यालव, मुंबई की प्रस्तुत किया आए)

- कंपनी का नाम
- एडीआर/जीडीआर निर्मम तारीख 3.
- जारी किये गये एडीआर/जीडीआर की कुल संख्या
- वर्धित की गयी, कुल राशि
- तिमाही की समाप्ति तक अर्जित ब्याज
- जारी करने का व्यय और कमीशन आदि 7.
- प्रत्यावर्तित राशि
- विदेश में रखा हुआ बकाया 9.
 - ब्योरा
- (i) बैंक जमा राशियां
- (🗓) खजाना बिल
- (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- अभी तक बकाया जीडीआर की संख्या 10.
- तिमाही समाप्ति पर कंपनी के शेयर का मृल्य 11.
- तिमाही समाप्ति पर विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में दर्शाए गए जीडीआर का मूल्य यह प्रमाणित किया **जाता है कि** एडीआर/जीडीआर से अर्जित निधि का निवेश शेयर बाजार अथवा संपत्ति में नहीं किया गया है।

इस्ता०/-

हस्ता०/-

सनदी लेखाकार

कंपनी का प्राधिकृत हस्सानरी

''फार्म एफसी-जीपीआर''

[भारती जाए।]	य रिज़र्व बै	कि के जिस क्षेत्रीय कार्यालय	के क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वा	ली कंपनी का पंजीवृ	तत कार्यालय स्थित है उ	सके पास प्रस्तुत किया
हम (कं	पनी का न	ाम)———— — —			_ 	
			धिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आ बिध में निम्मलिखित सूचना प्रस्तुत		त के अधीन अनिवासिंग	गों को शेयर जारी करने
1.		सयों को शेयर जारी करनेवाली और पता (पंजीकृत कार्याल				
2.	कंपनी प कंपनी है	हले से मीजूद कंपनी है या ह	ाल ही में गठित नई	- Cightur - Cigh		·
3.	कंपनी वे	कार्यकला प	_	•	*	uet e
एनं आ	ई सी को	ड		•		वेवरण
	-	ोड उस कार्यकलाप को नहीं मुमकिन न हो तो सिर्फ ब्यौर	दिया गया है <mark>तो कंपनी नजदीकी हि</mark> । दिया जाए।	वस्तृत श्रेणी में वर्गीवृ	हत हो । अगर कार्यकला	प को एनआईसी कोड
4.	निर्गम वि	क्रु गए शेयर⁄परिवर्तनीय डिबे	चर के ब्यौरे			
	(क)	विदेशी निवेशक का नाम औ	र देश			
	('ख)	निवेशक की श्रेणी (विदेश एफवीसीसी इत्यादि)	गी/विदेश में निवासी भारतीय/ वि	देशी कंप नी निका	य/एफआईआई/विदेशी	कंपनी/य्भवीसीय्फ,
	(শ)		ार्ग/सरकारी अनुमोदन अथवा अधि बी अनुमोदन क्रमांक दर्शाएं)	वमानित/बोनस आथ	ार पर से निर्णम किया र	था है (जहां सागू हो,
	(ছ)	निर्गमित शेवर/परिवर्तनीय डि	बेंचर के व्यरि (कृपना इंक्किटी हेन	र, त्रिकारेंस सेम्म प्रक	परिवर्शनीय दिवीच्यों के	भारे असन से दर्शाएं)
	डिवें र	ों∕परिवर्तनीय वरों की संख्या नर्गम मूल्य	शेवरीं का अंकित मूल्य/ सम मूल्य (रु.)/प्रीमेक्स रू प्रति शेयर, नियंत्रित प्रीमेक्स गैर कैप्छिशन सुरुष, आहि		कुल अंकित पूरप बोनस रोया के बामले में अनुपात	
	कुल अंतव	शेयर जारी करने के र्गाह (प्रीमियम सहित,				• ************************************
	(ঘ)(i)) हम सूचीबद्ध कंपनी हैं, से	बी दिशानिदेशों के अनुसार गूल्य। अ यव ा	Arbert 1		
	(ii)) कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, पृ	र्ववर्ती सीसीआई के दि ग्रहि शों वे सम्बन्ध			1
	(iii)) अधिकार आधार पर शेयर	जारी किए जा रहे हैं।			
	(iv) शेयर विलयन/डीमर्जर/सम	ामेलन के फलस्वरूप आरी किए प	N. T.		
5.	कंपनी व	का पूंजी ढांचा		.•	•	
	(मद 4	के अनसार शेयर जारी करने	के बाद)			
				ईक्विटी	(रुपये) अधिमानी	*
	I,	प्रदत्त पूंजी				

•	П.	(क) अनिव	तसी निषेश		ई वि वटी	(रुपये)	
		.15				अधिमानी	
		(i)	अनिवासी भारतीय/				
		***	विदेशी कंपनी निकाय				
		(ü)	अन्य (स्पष्ट करें)				
		(ন্ত্ৰ) নিবা	सी निवेश		•		
	•		ु			***	
	Ш	प्रदत्त पूंजी र		अनिवासी भा			
		अंगिवासी वि		विदेशी कंपनी	निकाय ———	%	
		वर्तमान प्रति		अन्य		%	
		[∐क Iके	प्रतिशत के रूप में]	कुल		%	
				घोषणा			
हम एत	द्द्वारा चे	पित करते हैं वि	क ः—				
1.	हमने ३ से अनु	मई, 2000 र्क पालन किया है	। अधिस् यना सं. 20/2 00 0-अ	रबी में दर्शाए गए स्वचालित मार्ग	के अंतर्गत शैयर जारी करने व	ाली प्रणाली का सावधानी	
2.	विदेशी सक्रमा	/ इंपियटी/ईविय रोगा सा ≷क्ष सा	टियाँ (ज्यांबेदयाँ के अलावा) के करार है/नहीं है।	जिन्हें इमने शेयर जारी किए हैं उ	पका भारत में <mark>कोई</mark> भी पूर्व सं	मुक्त उद्यम या तकनीकी	
-		•			<u> </u>		
3.	हमें औद्योगिक अधिनियम 1951 (विकास और विनियम) या सरकार द्वारा अधिसृचित 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।						
4.		रएसआई इन्हाई र करके निकार		सीमा का पालन किया गवा है अथ	ाषा हम इसएसआई इकाई ना	हीं हैं (को लागू न हो उसे ं	
5.	हमारा	प्रस्ताय भारतीय	। रिक्षर्थ बैंका के स्वचलित मार्ग	के अंतर्गत आने वाले सेक्टर नीति	ते/अनुमत सीमा के भीतर है	I .	
				अथ वा			
II.	शेयर,	दिनांक के	एसः	गाईए/एफआईपीची अनुमोदन क्र.	के अनु	सार जारी किए गए हैं।	
				अथवा			
Щ.		हे अधिमानी उ से कम नहीं हैं		गैर अनिवासी को आरी शेयर का म्	ह्रूल्य, जिस मूल्य पर निवासी	को शेयर जारी किए गए	
			and the second	अथवा			
IV.	जहाँ वि	५७ गए जेवर र	गैनस शेयर हैं।				
-**	- A- 4	., .,		******			
• •				अथवा			
V			ताय कपानया जिल्लायन आर स त में ज्यायालय द्वारा क्या वत् क	मामेलम योजना के अंतर्गत जारी ह हुमोदित।	कर् गए संयर अथवा डिमर्ज	र अथवा भारतीय कंपनी	
					कृते	-(कंपनी का नाम/मुहर)	
					इस्ताक्षर		
		•		1	नाम (—————		
						•	
					*पदनाम (———)	
तारीखः	:						
स्यान •							

^{*(}कंपनी के वरिष्ठ/जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)।

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2003

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

Short Title and Commencement:-

- 1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations:-

2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000.

A. In Regulation 2,

- (i) after item (vii), the following item shall be inserted, namely:—
- (vii) (a) 'Non-resident Indian (NRI) shall have the meaning assigned to it in clause (iv) of Regulation 2 of the Foreign Exchange Management (Investment in Firm or Proprietary Concern in India) Regulations, 2000."
- (ii) in item (viii), the words 'Non-resident Indian (NRI)' shall be deleted;
- B. After Regulation 6, the following Regulations shall be inserted, namely:—
 - " 6A. Acquisition of Bonus shares :-

An Indian company may issue bonus shares to its non-resident shareholders, subject to the following conditions:

- (a) the shares against which bonus shares are issued by the company (hereinafter referred to as 'the original shares') were acquired or held by the non-resident shareholder in accordance with the Rules/ Regulations applicable to such acquisition;
- (b) the bonus shares acquired by the non-resident shareholder shall be subject to the same conditions including restrictions in regard to repatriability as are applicable to the original shares.

6 B. Report to RBI :-

A company issuing right shares or bonus shares in terms of Regulation 6 or Regulation 6A as the case may be, shall, within thirty days from the date of issue, report the transaction in Form FC-GPR to the Regional Office of the Reserve Bank of India under whose jurisdiction the Registered Office of the company is situated."

- C. In Regulation 9, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:
 - "(2) (i) A person resident outside India, not being a non-resident Indian or an overseas corporate body, may transfer by way of sale or gift the shares or convertible debentures held by him or it to any person resident outside India;
 - (ii) A non-resident Indian or an overseas corporate body may transfer by way of sale or gift, the shares or convertible debentures held by him or it to another non-resident Indian or overseas corporate body only;

Provided that the person to whom the shares are being transferred, in terms of clause (i) and (ii), has obtained prior permission of Central Government to acquire the shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged.

Provided feather that the restriction in clauses (i) and (ii) shall not apply to the transfer of shares to International financial institutions such as Asian Development Bank(ADB), International Finance Corporation (IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungs Gescelsschaft (DEG) and transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector.

- (iii) A person resident outside India holding the shares or convertible debentures of an Indian company in accordance with these Regulations,
 - (a) may transfer the same to a person resident in India by way of gift;
 - (b) may sell the same on a recognized Stock Exchange in India through a registered broker."

D. In Schedule 1

- (a) in paragraph 5, in clause (a), after the words "SEBI guidelines", the words "as applicable" shall be inserted;
- (b) after paragraph 5, the following new paragraph shall be inserted, namely;

"5A, Issue price of ADRs/GDRs

Price of ADRs/GDRs to be issued to a person resident outside India may be decided by the Indian company-

- (a) where the issue is on public offer basis, in consultation with the Lead Manager to the issue; and
- (b) in other cases, as provided in paragraph 5 above."
- (c) In paragraph 6, in clause (a), after sub-clause (ii), the following shall be added, namely:
 - "(iii) to obligations arising out of dividends declared/remitted after 14th July 2000 i.e. the date on which conditions of dividend balancing was withdrawn"
- (d) In paragraph 6, the existing sub-clause (b) shall be deleted
- E Annexure A may be substituted with amended Annexure "A"
- F Annexure B may be substituted with amended Annexure "B"
- G Annexure C may be substituted with amended Annexure "C":
- H Annexure D may be substituted with amended Annexure "D"
- I The existing Form FC-GPR shall be substituted with the amended Form FC-GPR.
- J In.Schedule 2.

In Paragraph (1), for sub-paragraph (5), the following shall be substituted, namely:—

"(5) A registered FII is permitted to purchase shares/convertible debentures of an Indian company through offer/private placement, subject to the ceiling specified in sub-paragraph (4) of this paragraph and the Indian company is permitted to issue such shares;

Provided that ---

- (i) in case of Public Offer, the price of the shares to be issued is not less than the price at which shares are issued to residents, and
- (ii) in case of issue by private placement, the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or guidelines issued by erstwhile Controller of Capital Issues, as applicable."

K In Schedule 3,

- (i) in Paragraph 1, for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:—
 - "(i) NRIs may purchase and sell shares/convertible debentures under the Portfolio Investment Scheme through a branch designated by an Authorised Dealer for the purpose and duly approved by the Reserve Bank of India."
- (ii) For Paragraph 3, the following shall be substituted, namely:—
 - "3. Remittance/credit of sale/maturity proceeds of shares and/or debentures.

The net sale/maturity proceeds (after payment of taxes) of shares and/or debentures of an Indian company purchased by NRI or OCB under this scheme, may be allowed by the designated branch of an authorised dealer referred to in paragraph 1,

- (a) to be credited to NRO account of the NRI/OCB investor where the payment for purchase of shares and/or debentures sold was made out of funds held in NRO account or where the shares and/or debentures were purchased on non-repatriation basis, or
- (b) at the NRI or OCB investor's option, to be remitted abroad or credited to his/its NRE/FCNR/NRO account of the NRI, where shares and/or debentures were purchased on repatriation basis."

L In Schedule 4, after paragraph 2, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the person to whom the shares are being transferred, has obtained prior permission of Central Government to acquire the shares if he has previous venture or tie up in India through investment in shares or debentures or a technical collaboration or a trade mark agreement or investment by whatever name called in the same field or allied field in which the Indian company whose shares are being transferred is engaged."

Provided further that this restriction shall not apply to the transfer of shares to International Financial Institutions such as Asian Development Bank(ADB), International Finance Corporation(IFC), Commonwealth Development Corporation (CDC), Deutsche Entwicklungs Gescelsschaft(DEG) and transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector.

[No. FEMA-94/2003-RB]

USHA THORAT, Executive Director

ANNEXURE A (See paragraph 2)

(A) List of Activities for which Automatic Route of RBI for investment from person resident outside India is not available

- 1. Domestic Airlines
- 2. Petroleum Sector (except for private sector oil refining)
- 3. Investing companies in Infrastructure and Services Sector
- 4. Defence and Strategic Industries
- 5. Atomic Minerals
- 6. Print Media
- 7. Broadcasting
- 8. Postal Services
- 9. Courier Services
- 10. Establishment and Operation of satellite
- 11. Development of Integrated Township
- 12. Tea Sector

(B) List of activities or items for which FDI is prohibited.

- 1. Retail Trading
- 2. Atomic Energy
- 3. Lottery Business
- 4. Gambling and Betting
- 5. Housing and Real Estate business
- 6. Agriculture (excluding Floriculture, Horticulture, Development of Seeds, Animal Husbandry, Pisiculture and Cultivation of Vegetables, Mushrooms etc. under controlled conditions and services related to agro and allied sectors) and Plantations (Other than Tea plantations)

ANNEXURE B

(See paragraph 2)

Sectoral cap on investments by persons resident outside India

Sector	Investment Cap	Description of Activity/Items/Conditions
1	2 3	
1. Private Sector Banking	49%	Subject to guidelines issued by RBI from time to time
2. Non-Banking Financial Companies	100%	FDI/NRI/OCB investments allowed in the following 19 NBFC activities shall be as per the levels indicated below:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(a) Activities covered :
		1. Merchant Banking
		2. Under Writing
		3. Portfolio Management Services
		4. Investment Advisory Services
		5. Financial Consultancy
		6. Stock-broking
		7. Asset Management
•	•	8. Venture Capital
		9. Custodial Services
		10. Factoring
		11. Credit Reference Agencies
		12. Credit Rating Agencies
		13. Leasing & Finance
		14. Housing Finance
		15. Forex-broking
		16. Credit Card Business
		17. Money-changing Business
		18. Micro-credit
	<i>></i>	19. Rural credit
\$		(b) Minimum Capitalisation norms for fund based NBFCs
		(i) for FDI upto 51%, US\$ 0.5 million to be brought in upfror
*	. *	(ii) If the FDI is above 51 % and upto 75 %, US \$ 5 million to be brought upfront
		(iii) If the FDI is above 75 % and upto 100 %, US \$ 50 millio out of which \$ 7.5 million to be brought in upfront and the balance in 24 months
		(c) Minimum Capitalisation norms for non-fund base activities.
		Minimum Capitalisation norm of US \$0.5 million is applicabin respect of non-fund based NBFCs with foreign investmen
		(d) Foreign investors can set up 100% operating subsidiaries without the condition to disinvest a minimum of 25% of it equity to Indian entities, subject to bringing in US \$ 50 million as at (b) (iii) above (without any restriction on number operating subsidiaries without bringing in additional capital
		(e) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less tha 75% foreign investment will also be allowed to set u subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject the subsidiaries also complying with the applicable minimum capital inflow i.e. (b)(l) and (b)(ii) above

capital inflow i.e. (b)(l) and (b)(ii) above.

10

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

1	2	3
		(f) FDI in the NBFC sector is put on automatic route subject to compliance with guidelines of the Reserve Bank of India. RE would issue appropriate guidelines in this regard.
3. Insurance	26%	FDI upto 26% in the Insurance sector is allowed on the automatic route subject to obtaining licence from Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
4. Telecommunications	49%	(i) In basic, Cellular, Value Added Services, and Global Mobil Personal Communications by Satellite, FDI is limited to 499 subject to licencing and security requirements and adherence by the companies (who are investing and the companies is which the investment is being made) to the license condition for foreign equity cap and lock-in period for transfer an addition of equity and other license provisions.
		(ii) ISPs with gateways, radio paging and end-to-end bandwidth, FDI is permitted upto 74% with FDI, beyond 49% requiring Government approval. These services would be subject to licensing and security requirements.
		(iii) No equity cap is applicable to manufacturing activities.
		(iv) FDI upto 100% is allowed for the following activities in the telecom sector:
		 (a) ISPs not providing gateways (both for satellite an submarine cables)
		(b) Infrastructure Providers providing dark fibre (IP Categor I)
		(c) Electronic Mail, and
		(d) Voice Mail
		The above would be subject to the following conditions;
		(a) FDI upto 100% is allowed subject to the condition that such-companies would divest 26% of their equity in favour of Indian public in 5 years, if these companies are listed in other parts of the world.
	<i>x</i>	(b) The above services would be subject to licencing and security requirements, wherever required.
		(c) Proposal for FDI beyond 49% shall be considered by FIPI on case to case basis.
5. Petroleum Refining (Private Sector)	100%	FDI permitted upto 100% in case of private Indian companies
6. Housing and Real Estate	100%	Only NRIs/OCBs are allowed to invest upto 100% in the areas listed below:
		(a) Development of serviced plots and construction of built up residential premises
		(b) Investment in real estate covering construction of residential and commercial premises including business centers and offices
		(c) Development of townships

- (c) Development of townships
- (d) City and regional level urban infrastructure facilities, including both roads and bridges;
- (e) Investment in manufacture of building materials;
- (f) Investment in participatory ventures in (a) to (c) above.
- (g) Investment in Housing finance institutions which is also opened to FDI as an NBFC,

7. Coal & Lignite

- 8. Venture Capital Fund (VCF) and Venture Capital Company (VCC)
- 9. Trading

3

- (i) Private Indian companies setting up or operating power projects as well as coal and lignite mines for captive consumption are allowed FDI upto 100%.
- (ii) 100% FDI is allowed for setting up coal processing plants subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.
- (iii) FDI upto 74% is allowed for exploration or mining of coal or lignite for captive consumption.
- (iv) In all the above cases, FDI is allowed upto 50% under the automatic route subject to the condition that such investment shall not exceed 49% of the equity of a PSU.

Offshore Venture Capital Funds/companies are allowed to invest in domestic venture capital undertaking as well as other companies through the automatic route, subject only to SEBI regulation and sector specific caps on FDI.

Trading is permitted under automatic route with FDI upto 51% provided it is primarily export activities, and the undertaking is an export house/trading house super trading House star trading house. However, under the FIPB route:

- (i) 100% FDI is permitted in case of trading companies for the following activities.
- (a) exports;
- (b) bulk imports with export/expanded warehouse sales;
- (c) cash and carry wholesale trading;
- (d) other import of goods or services provided at least 75% is for procurement and sale of the same group and not for third party use or onward transfer/distribution/sales.
- (ii) The following kinds of trading are also permitted, subject to provisions of Exim Policy.
- (a) Companies for providing after sales services (that is not trading per se);
- (b) Domestic trading of products of JVs is permitted at the wholesale level for such trading companies who wish to market manufactured products on behalf of their Joint ventures in which they have equity participation in India;
- (c) Trading of hi-tech items/items requiring specialised after sales service;
- (d) Trading of items for social sector;
- (e) Trading of hi-tech, medical and diagnostic items;
- (f) Trading of items sourced from the small scale sector under which, based on technology provided and laid down quality specifications, a company can market that item under its brand name;
- (g) Domestic sourcing of products for exports;
- (h) Test marketing of such items for which a company has approval for manufacture provided such test marketing facility will be for a period of two years, and investment in setting up manufacturing facilities commence simultaneously with test marketing.;

1	2	3
		(i) FDI upto 100% permitted for e-commerce activities subject to the condition that such companies would divest 26% of their equity in favour of the Indian public in five years, if these companies are listed in other parts of the world. Such companies would engage only in business to business (B2B) e-commerce and not in retail trading.
10. Power	100%	FDI allowed upto 100% in respect of projects relating to electricity generation, transmission and distribution, other than atomic reactor power plants. There is no limit on the project cost and quantum of foreign direct investment.
11. Drugs & Pharmaceuticals	100%	FDI permitted upto 100% for manufacture of drugs and pharmaceuticals provided the activity does not attract compulsory licensing or involve use of recombinant DNA technology and specific cell/tissue targeted formulations. FDI proposal for the manufacture of licensable drugs and pharmaceuticals and bulk drugs produced by recombinant DNA technology and specific cell/tissue targeted formulations will require prior Govt. approval.
12. Road and highways, Ports and harbors	100%	In projects for construction and maintenance of roads, highways, vehicular bridges, toll roads, vehicular tunnels, ports and harbours.
13. Hotel & Tourism	100%	The term hotels include restaurants, beach resorts and other tourist complexes providing accommodation and/or catering and food facilities to tourists. Tourism related industry include travel agencies, tour operating agencies and tourist transport operating agencies, units providing facilities for cultural, adventure and wild life experience to tourists, surface, air and water transport facilities to tourists, leisure, entertainment, amusement, sports and health units for tourists and Convention/Seminar units and organisations.
		For foreign technology agreements, automatic approval is granted if
		(i) Upto 3% of the capital cost of the project is proposed to be paid for technical and consultancy services including fees for architects, design, supervision, etc.
		 (ii) Upto 3% of the net turnover is payable for frachising and marketing/publicity support fee, and
$\mathcal{F}_{i} = \mathcal{F}_{i}$		Upto 10% of gross operating profit is payable for management fee, including incentive fee.
14. Mining	74%	(i) For exploration and mining of diamonds and precious stones FDI is allowed upto 74% under automatic route,
	100%	(ii) For exploration and mining of gold and silver and minerals other than diamonds and precious stones, metallurgy and processing FDI is allowed upto 100% under automatic route,
		(iii) Press Note 18 (1998 series) dated 14-12-98 would not be applicable for setting up 100% owned subsidiaries in so far as the mining sector is concerned, subject to a declaration from the applicant that he has no existing joint venture for the same area and/or the particular mineral.
15. Advertising	100%	Advertising Sector
16. Films	100%	FDI upto 100% allowed on the automatic route Film Sector
. L		(Film production, exhibition and distribution including related services/products)

1	2	3
		FDI upto 100% allowed on the automatic route with no entry- level condition
17. Airports	74%	Govt approval required beyond 74%
18 Mass Rapid Transport Systems	100%	FDI upto 100% is permitted on the automatic route in mass rapid transport system in all metros including associated real estate development.
19. Pollution Control & Management	100%	In both manufacture of pollution control equipment and consultancy for integration of pollution control systems is permitted on the automatic route.
20. Special Economic Zones	100%	All manufacturing activities except:
- -		 (i) Arms and ammunition, Explosives and allied items of defence equipments, Defence aircrafts and warships,
		 (ii) Atomic substances, Narcotics and Psychotropic Substances and hazardous Chemicals,
		(iii) Distillation and brewing of Alcoholic drinks, and
		(iv) Cigarette/cigars and manufactured tobacco substitutes.

Annexure 'C'

[Refer to paragraph 4(2) of Schedule I]

Return to be filed by an Indian company who has arranged issue of GDR/ADR

Instructions:

The form should be completed and submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai.

/Lum	bai.			
1.	Name of the Company	:		
2.	Address of Registered Office	:		
3.	Address for correspondence	:.		ř
4.	Existing Business (Please give the NIC Code of the activity in which the company is predominantly engaged)	:		-
5.	Details of the purposes for which GDRs/ADRs have been raised. If funds are deployed for overseas investment, details thereof.	:		
6.	Name and address of the Depository abroad	:		
7.	Name and Address of the Lead/Manager Investment/ Merchant Banker	:		
8.	Name and addresses of the Sub-Managers to the issue	:	•	
9.	Name and address of the Indian custodians	:		
10.	Delails of FIPB approval (Please quote the relevant NIC Code if the GDRs are being issued under the Automatic Route)	:		
11.	Whether any overall sectoral cap for foreign investment is applicable. If yes, please give details.	:		
12.	Details of the Equity Capital	:	Before Issue	After Issue
	(a) Authorised Capital			
	(b) Issued and Paid-up Capital			**************************************

(i) Held by persons Resident in India

2	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDI	NARY [Part II—Sec. 3(i)
	(ii) Held by foreign investors other than Flls/NRIs/PIOs/OCBs (A list of foreign investors holding more than 10 per cent of the paid-up capital and number of shares held by each of them should be furnished)	
	(iii) Held by NRIs/PIOs/OCBs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(iv) Held by Flls.	
	Total Equity held by non-residents	
	(c) Percentage of equity held by non-residents to total paid-up capital	
13.	Whether issue was on private placement basis. If yes, please give details of the investors and ADRs/GDRs issued to each of them	
14.	Number of GDRs/ADRs issued :	
15 .	Ratio of GDRs/ADRs to underlying shares :	
16.	Issue Related Expenses :	
	(a) Fee paid/payable to Merchant Bankers/Lead Manager	
	(i) Amount (in US \$ etc.)	
	(ii) Amount as percentage to the total issue	
	(b) Other Expenses	
17.	Whether funds are kept abroad. : If yes, name and address of the bank	
18.	Details of the listing arrangement: Name of Stock Exchange Date of commencement of trading	
19.	The date on which ADRs/GDRs issue was launched:	
2 0.	Amount raised (in US \$)	•
21.	. Amount repatriated (in US\$)	

Certified that all the conditions laid down by Government of India and Reserve Bank of India have been complied with.

Sd/-

Sd/-

Chartered Accountant

Authorised Signatory of the Company

Annexure 'D'

[Refer to paragraph 4(3) of Schedule I]

Quarterly Return

(to be submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai)

- 1. Name of Company
- 2. Address
- 3. GDR/ADR issue launched on
- 4. Total No. GDRs/ADRs issued
- 5. Total amount raised
- 6. Total interest earned till end of quarter
- 7. Issue Expenses and commissions etc.
- 8. Amount repatriated
- 9. Balance kept abroad Details
 - (i) Banks Deposits
 - (ii) Treasury Bills
 - (iii) Others (Please specify)

- 10. No. of GDRs still outstanding
- 11. Company's share price at the end of the quarter:
- 12. GDR price quoted on overseas stock exchange : as at the end of the quarter

Certified that funds raised through ADRs/GDRs have not been invested in stock market or real estate.

Sa/-				
Chartered	Accountant			

Sd/-

Authorised Signatory of the Company

"FORM F C-GPR"

(To be filed with the Regional Office of the RBI under whose jurisdiction the registered office of the company making the declaration is situated)

We (Name of the Company)

Doclare that, being eligible to issue shares to non-residents under the permission granted under Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000, furnish the following information in connection with shares issued.

- Name and address (Registered office)
 of the Indian company issuing shares
 to non-residents
- 2. Whether existing company or new company recently formed
- 3. Activities of the company

NIC Code

Description

(In case no NIC code has been allotted to the activity, the company may classify in the nearest broad category. In case it is not at all possible to classify the activity under the NIC Code, only description may be given).

- 4. Particulars of shares/convertible debentures issued
- (a) Name and country of the foreign investor
- (b) Category of investor (Foreign National/NRI/OCB/FII/Foreign Company, Foreign Venture Capital Fund, Foreign Venture Capital Company etc.)
- (c) Whether the shares are issued under Automatic Route/Government Approval or on rights/bonus basis (Please quote SIA/FIPB approval number where applicable)
- (d) Details of shares/convertible debentures issued (Please furnish details for equity shares, preference shares and convertible debentures separately)

No. of shares/ convertible debentures Issue Price	Face value of shares At par (Rs.)/premium of Rs per share, control premium non-competition fee etc.	Total face value Ratio in case of bonus shares
Total inflow on account of issue of shares to non-residents (including premium if any)	<pre>} } </pre>	Rs.

(d) (i) We are a listed company, price in terms of SEBI guidelines per share is Rs.

OR

(ii) The company is not listed, fair value of the share in terms of guidelines issued by the erstwhile CCI is Rs.

OR

(iii) Shares are issued on rights basis

OR

(iv) Shares have been issued as a result of merger/de-merger/amalgamation

5. (Capital structure of the company (after i	ssue of shares as per item 4)
		Equity	(Rupees) Preference
I	Paid up capital		•
П	(a) Non-resident Investment		
	(i) NRI/OCB		
	(ii) Others (specify)		
	(b) Resident investment		
		Total	
Ш	Existing percentage of	} NRIs/OCBs	%
	non-resident investment) Others	%
	in the paid up capital	}	
	[II a as a percentage of I]	Total	%
	<i>y</i>	<i>₹.</i> \$	
		Declaration	
We he	ereby declare that:		
1.	We have carefully followed the procedin the Notification No. FEMA 20/2000		d down under the Automatic Route as indicated
2.	Foreign equity (ies) (other than indivventure or technical collaboration or tra		sued shares does/do not have any previous joint a in the same or allied field.
3.	We don't require an Industrial Licence of locational policy notified by the Gov		lopment and Regulation) Act, 1951 or in terms lustrial Policy of 1991.
4.	We are an SSI unit & the investment li	mit of 24 % has been obser	ved, OR we are not an SSI unit.
	(Delete whi	ichever is not applicable un	der signature)
5 .	Our proposal is within the sectoral pol	icy/cap permissible under t	he automatic route of RBI.
		OR	
П	Shares have been issued in terms of SI.	A/FIPB approval No.	dated
		OR	
Ш	Shares have been issued on rights bast that at which shares issued to residen		to non-residents at a price that is not lower than
		OR	
IV	Shares issued are bonus shares.		
		OR	
V			gamation of two or more Indian companies or apany, duly approved by a court in India.
		For	(Name of the Company/ Seal)
			Signature
			Name : ()
			*Designation:
Date:			
Place	· :		
	(* To be signed by s	enior official/ responsible p	person in the company)